न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 25 / 2021

रनवीरसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी छौकरवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमवती पुत्री जलसिंह पत्नी स्व0 देशराजसिंह जाट निवासी छौकरवाडा कलां हाल निवासी कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर।
2. अमृतसिंह पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी छौकरवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. विमला पुत्री जलसिंह पत्नी जगदीश जाट निवासी छौकरवाडा तहसील भुसावर हाल निवासी नाथू का नगला भुसावर।
4. उर्मिला पुत्री जलसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाट निवासी छौकरवाडा तहसील भुसावर हाल निवासी गादौली तहसील नदबई।
5. जगवीरी पुत्री जलसिंह पत्नी वीरीसिंह जाट निवासी छौकरवाडा तहसील भुसावर हाल निवासी निवासी गादौली तहसील नदबई।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्व उपखण्ड अधिकारी भुसावर श्री मुनिदेव यादव वमुकदमा प्रेमवती बनाम अमृतसिंह वगै0 मु0न0 84 / 2019

निर्णय दिनांकः 02.11.2021

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर श्री मुनिदेव यादव के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक वाद 84 / 2019 अर्न्तगत धारा 53 व 188 आरटीए का उनवानी प्रकरण प्रेमवती बनाम अमृतसिंह वगै0 उपखण्ड अधिकारी भुसावर के यहां विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी भुसावर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रकरण कुरेजात रिपोर्ट चाही गई थी। कुरा रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुताबिक आदेश 1/7, 1/7 हिस्से काबिज के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी किन्तु ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1.51 ऐयर का बनाया गया है जबकि कुरेजात रिपोर्ट मौके पर प्रतिवादी स0 2 को बुलाया तक नही था। उक्त कुरेजात रिपोर्ट का न्यायालय में विरोध करने पर पुनः मौके पर जाकर दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में कुरेजात रिपोर्ट के आदेश के मुताबिक हिस्सा व रकबा बराबर अकिंत नही किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कुरेजात पर आपत्ति न्यायालय में पेश की गई जिस पर न्यायालय ने कोई गौर नही किया और अन्तिम आदेश पारित करना चाहते है। तहत न्यायालय द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्य किया है। तहत न्यायालय की आदेशिका में तारीख पेशी 19.7.2021 दी गई थी जिसमें कांट–छांटकर व मसकूकी की है जिससे शंका हो गयी कि तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को कोई न्याय नही मिलेगा। तहत न्यायालय द्वारा कुरेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बगैर गौर किये ही सीधे बहस का आदेश पारित कर पक्षपात पूर्ण मनोदशा उजागार हो रही है तथा प्रार्थी को जारी शुदा स्थगन आदेश को समाप्त करना चाहते है। अप्रार्थी द्वारा उक्त दावा प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगै0 से साज कर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें बहनों का हिस्सा कानून के मुताबिक नही बनता है। दिनांक 28.05.2021 की तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले शब्दों में आपसी निर्णय पूर्ण राज बताते हुये कहा है कि प्रकरण में कोई दम नही है इसलिए जारी स्थगन का निर्णय अनावेदकगण के पक्ष में किया जावेगा। इस कारण हमें पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव उपखण्ड अधिकारी भुसावर से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध वकील प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में किया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि एक दावा संख्या 84/2019 प्रेमवती बनाम अमृतसिंह वगै0 उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

प्रकरण कुरेजात रिपोर्ट की आपत्ति प्रार्थना पत्र के जबाब व बहस में विचाराधीन है। प्रकरण को प्रार्थी अनावश्यक रूप से जानबूझकर लम्बित करना चाहता है। प्रार्थीग द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो निराधार व सारहीन है। वकील अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर करते हुए उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी पर मनन किया। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी भुसावर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रेमवती बनाम अमृतसिंह वगै0 में प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है तथा प्रकरण कुरेजात रिपोर्ट की आपत्ति प्रार्थना पत्र में जबाब/बहस में विचाराधीन है। जिसकी आड में प्रार्थी उक्त प्रकरण को लम्बित करने की मंशा प्रतीत होती है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी भुसावर के विरूद्व लगाये गये आरोपों के सबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये है और ना ही अपनी बहस में आरोपों को सिद्व कर सके है। प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भुसावर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर